

HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 22— HLA of 2024

**THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX
(AMENDMENT) BILL, 2024**

A

BILL

further to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024. Short title and commencement.
(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 25th September, 2024.
2. For clause (61) of section 2 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April, 2025, namely:- Amendment of section 2 of Haryana Act 19 of 2017.
“(61)“Input Service Distributor” means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;”
3. In sub-section (1) of section 9 of the principal Act, after the words “alcoholic liquor for human consumption”, the words and sign “and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor, for human consumption” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024. Amendment of section 9 of Haryana Act 19 of 2017.
4. In sub-section (5) of section 10 of the principal Act, after the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024. Amendment of section 10 of Haryana Act 19 of 2017.
5. After section 11 of the principal Act, the following section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024, namely:— Insertion of section 11A in Haryana Act 19 of 2017.
“11A. Power not to recover Goods and Services Tax not levied or short-levied as a result of general practice.-Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is satisfied that—
(a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of State tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and

- (b) such supplies were, or are, liable to, –
- (i) State tax, in cases where according to the said practice, State tax was not, or is not being, levied; or
 - (ii) a higher amount of State tax than what was, or is being, levied, in accordance with the said practice,

the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official Gazette, direct that the whole of the State tax payable on such supplies, or, as the case may be, the State Tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the State tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice.”.

Amendment of section 13 of Haryana Act 19 of 2017.

6. In sub-section (3) of section 13 of the principal Act,-

- (i) for clause (b), the following clauses shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st November, 2024, namely:-
 - “(b) the date immediately following sixty days from the date of issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu thereof by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or
 - (c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient.”;
- (ii) in the first proviso, after the words, brackets and letter “or clause (b)”, the words, brackets and letter “or clause (c)” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024.

Amendment of section 16 of Haryana Act 19 of 2017.

7. After sub-section (4) of section 16 of the principal Act, the following sub-sections shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 1st July, 2017, namely:–

“(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed upto the thirtieth day of November, 2021.

(6) Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said

person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under section 39-

- (i) filed upto thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or
- (ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration,

whichever is later.”.

8. In clause (i) of sub-section (5) of section 17 of the principal Act, for the words, figures and sign “sections 74, 129 and 130”, the words, figures and sign “section 74 in respect of any period upto Financial Year 2023-24” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st November, 2024.

Amendment of section 17 of Haryana Act 19 of 2017.

9. For section 20 of the principal Act, the following section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April, 2025, namely:-

Substitution of section 20 in Haryana Act 19 of 2017.

“20. Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.-

(1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Service Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.

(2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of State tax or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions, as may be prescribed.

(3) The credit of State tax shall be distributed as State tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or State tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner, as may be prescribed.”.

10. In section 21 of the principal Act, after the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024.

Amendment of section 21 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 30 of Haryana Act 19 of 2017.

11. In the proviso to sub-section (2) of section 30 of the principal Act,-
- (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
 - (ii) after the existing proviso, the following proviso shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 1st November, 2024, namely:-

“Provided further that such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.”

Amendment of section 31 of Haryana Act 19 of 2017.

12. In clause (f) of sub-section (3) of section 31 of the principal Act,—
- (i) after the words and figure “of section 9 shall”, the signs and words “, within the period as may be prescribed,” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024;
 - (ii) the following Explanation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st November, 2024, namely:-

“Explanation.— For the purposes of clause (f), the expression “supplier who is not registered” shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51.”

Amendment of section 35 of Haryana Act 19 of 2017.

13. In sub-section (6) of section 35 of the principal Act, after the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024.

Amendment of section 39 of Haryana Act 19 of 2017.

14. For sub-section (3) of section 39 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st November, 2024, namely:—

“(3) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month, in such form and manner and within such time, as may be prescribed:

Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.”

Amendment of section 49 of Haryana Act 19 of 2017.

15. In clause (c) of sub-section (8) of section 49 of the principal Act, after the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024.

16. In the proviso to sub-section (1) of section 50 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024. Amendment of section 50 of Haryana Act 19 of 2017.
17. In sub-section (7) of section 51 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024. Amendment of section 51 of Haryana Act 19 of 2017.
18. In section 54 of the principal Act,— Amendment of section 54 of Haryana Act 19 of 2017.
- (a) in sub-section (3), the second proviso shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from 1st November, 2024;
- (b) after sub-section (14) and before the Explanation, the following sub-section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st November, 2024, namely: —
- “(15) Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty.”.
19. In sub-section (3) of section 61 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024. Amendment of section 61 of Haryana Act 19 of 2017.
20. In sub-section (1) of section 62 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024. Amendment of section 62 of Haryana Act 19 of 2017.
21. In section 63 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024. Amendment of section 63 of Haryana Act 19 of 2017.
22. In sub-section (2) of section 64 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024. Amendment of section 64 of Haryana Act 19 of 2017.
23. In sub-section (7) of section 65 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 1st November, 2024. Amendment of section 65 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 66 of Haryana Act 19 of 2017.

24. In sub-section (6) of section 66 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 1st November, 2024.

Amendment of section 70 of Haryana Act 19 of 2017.

25. After sub-section (1) of section 70 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024, namely:—

"(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required."

Amendment of section 73 of Haryana Act 19 of 2017.

26. In section 73 of the principal Act,—

(i) in the marginal heading, after the words "Determination of tax", the signs, words and figures " , pertaining to the period upto Financial Year 2023-24," shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024;

(ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be added and shall be deemed to have been added with effect from 1st November, 2024, namely:—

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period upto the Financial Year 2023-24."

Amendment of section 74 of Haryana Act 19 of 2017.

27. In section 74 of the principal Act, —

(i) in the marginal heading, after the words "Determination of tax", the signs, words and figures " , pertaining to the period upto Financial Year 2023-24," shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024;

(ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 1st November, 2024, namely:—

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24."

(iii) Explanation 2 shall be omitted.

Insertion of section 74A in Haryana Act 19 of 2017.

28. After section 74 of the principal Act, the following section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024, namely:-

"74A. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized for any reason

pertaining to Financial Year 2024-25 onwards.-(1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,-

- (i) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten per cent of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;
- (ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.

(6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.

(7) The proper officer shall issue the order under sub-section (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of six months.

(8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,-

- (i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;
- (ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 within sixty days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,—

- (i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

- (ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;
- (iii) pay the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8), penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

Explanation 1.—For the purposes of this section,-

- (i) the expression “all proceedings in respect of the said notice” shall not include proceedings under section 132;
- (ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122 and 125 are deemed to be concluded.

Explanation 2.—For the purposes of this Act, the expression “suppression” shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.”.

29. In section 75 of the principal Act,-

- (a) in sub-section (1), after the word and figures “section 74”, the words, brackets, figures and letter “or sub-sections (2) and (7) of section 74A” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st November, 2024;

Amendment of
section 75 of
Haryana Act 19
of 2017.

- (b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st November, 2024, namely:-

“(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful- misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause (i) of sub-section (5) of section 74A.”;

- (c) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st November, 2024, namely:—

“(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of section 73 or in sub-section (10) of section 74 or in sub-section (7) of section 74A.”;

- (d) in sub-section (11), after the word and figures “section 74”, the words, brackets, figures and letter “or sub- section (7) of section 74A” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024;
- (e) in sub-section (12), after the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74 A” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024;
- (f) in sub-section (13), after the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74 A” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024.

Amendment of section 104 of Haryana Act 19 of 2017.

- 30.** In the Explanation to sub-section (1) of section 104 of the principal Act, after the word and figures “section 74”, the words, brackets, figures and letter “or sub-sections (2) and (7) of section 74A” shall be added and shall be deemed to have been added with effect from 1st November, 2024.

Amendment of section 107 of Haryana Act 19 of 2017.

- 31.** In section 107 of the principal Act, —

- (a) in clause (b) of sub-section (6), for the word “twenty- five”, the word “twenty” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st November, 2024;
- (b) in the second proviso to sub-section (11), after the words and figures “section 73 or section 74”, the words, figures and letter “or section 74 A” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024.

32. In section 112 of the principal Act, —

Amendment of
section 112 of
Haryana Act 19 of
2017.

- (a) in sub-section (1), after the words “from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal”, the signs and words “; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later.” shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 1st August, 2024;
- (b) in sub-section (3), after the words “from the date on which the said order has been passed”, the words “; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later,” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st August, 2024;
- (c) in sub-section (6), after the words, brackets and figure “after the expiry of the period referred to in sub-section (1)”, the words, brackets and figure “or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024;
- (d) in clause (b) of sub-section (8),-
- (i) for the words “twenty per cent”, the words “ten per cent” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st November, 2024;
- (ii) for the words “fifty crore rupees”, the words “twenty crore rupees” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st November, 2024.

33. In sub-section (1B) of section 122 of the principal Act, for the words “Any electronic commerce operator who”, the words, signs and figures “Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under section 52,” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st October, 2023.

Amendment of
section 122 of
Haryana Act 19
of 2017.

34. After section 122 of the principal Act, the following section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st October, 2024, namely:-

Insertion of
section 122A in
Haryana Act 19
of 2017.

“122A. Penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under section 148, acts in

contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.

(2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where-

- (a) the penalty so imposed is paid; and
- (b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty."

Amendment of section 127 of Haryana Act 19 of 2017.

35. In section 127 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024.

Insertion of section 128A in Haryana Act 19 of 2017.

36. After section 128 of the principal Act, the following section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024, namely:—

"128A. Waiver of interest or penalty or both relating to demands raised under section 73, for certain tax periods.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with,-

- (a) a notice issued under sub-section (1) of section 73 or a statement issued under sub-section (3) of section 73, and where no order under sub-section (9) of section 73 has been issued; or
- (b) an order passed under sub-section (9) of section 73, and where no order under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108 has been passed; or
- (c) an order passed under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108, and where no order under sub-section (1) of section 113 has been passed,

pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions, as may be prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is filed under sub-section (3) of section 107 or under sub-section (3) of section 112 or an appeal is filed by an officer of State tax under sub-section (1) of section 117 or under sub-section (1) of section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of section 108, against an order referred to in clause (b) or clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

Provided further that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under sub-section (1) of section 107 or sub-section (1) of section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be.”.

37. In section 171 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2),-

(i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and

(ii) the following proviso and Explanation, shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 27th September, 2024, namely:-

“Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the

Amendment of section 171 of Haryana Act 19 of 2017.

said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, “request for examination” shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.”;

- (b) in sub-section (3A), the existing Explanation shall be renumbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 so renumbered, the following Explanation shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 27th September, 2024, namely:-

“Explanation 2.—For the purposes of this section, the expression “Authority” shall include the “Appellate Tribunal.”.

Amendment of
Schedule III to
Haryana Act 19
of 2017.

- 38.** In Schedule III to the principal Act, after paragraph 8, the following paragraphs shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st November, 2024, namely:—

“9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in coinsurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.

10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission.”.

No refund of tax
paid or input tax
credit reversed.

- 39.** No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which shall not have been so paid, or not reversed, had section 7 been in force at all material times.

Repeal and savings.

- 40.** (1) The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024 (Haryana Ordinance No. 6 of 2024), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State Government.

2. It is proposed to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 on the basis and to the extent of the recommendations made by the GST Council and on the lines of amendments carried out in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 by Finance Act, 2024 (Central Act 8 of 2024) and Finance Act (No. 2), 2024 (Central Act 15 of 2024).

3. The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024, inter alia, provides for the following, namely:—

- (i) to amend sub-section (1) of section 9 of the Act so as to not levy state tax on un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption.
- (ii) to insert a new section 11A in the Act so as to empower the Government to regularise non-levy or short levy of state tax where it is satisfied that such non-levy or short levy was a result of general practice.
- (iii) to amend sub-section (3) of section 13 of the Act so as to specify the time of supply of services in cases where the invoice is required to be issued by the recipient of services in reverse charge supplies.
- (iv) to insert a new sub-section (5) in section 16 of the Act so as to carve out an exception to the existing sub-section (4) and to provide that in respect of an invoice or debit note for the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed upto the thirtieth day of November, 2021.
- (v) to substitute section 20 of the Act so as to provide for Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.
- (vi) to substitute sub-section (3) of section 39 of the Act so as to mandate the electronic furnishing of return for each month by the registered person required to deduct tax at source, irrespective of whether any deduction has been made in the said month or not.
- (vii) to insert a new sub-section (12) in section 73 of the Act so as to restrict the applicability of the said section for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24 and to amend the marginal heading of the said section accordingly.
- (viii) to insert a new sub-section (12) in section 74 of the Act so as to restrict the applicability of the said section for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24 and to amend the marginal heading of the said section accordingly.
- (ix) to insert a new section 74A in the Act so as to provide for determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

- (x) to amend sub-section (6) of section 107 of the Act so as to reduce the maximum amount of pre-deposit for filing appeal before the Appellate Authority from rupees twenty-five crores to rupees twenty crores in state tax.
 - (xi) to amend sub-sections (1) and (3) of section 112 of the Act so as to empower the Government to notify the date for filing appeal before the Appellate Tribunal and provide a revised time limit for filing appeals or application before the Appellate Tribunal.
 - (xii) to insert a new section 122A in the Act so as to provide for penalty for failure to register certain machines used in manufacture of Goods as per special procedure.
 - (xiii) to insert a new section 128A in the Act so as to provide for conditional waiver of interest and penalty in respect of demand notices issued under section 73 of the said Act for the Financial Years 2017-18, 2018-19 and 2019-20, except the demand notices in respect of erroneous refund.
 - (xiv) to amend sub-section (2) of section 171 of the Act so as to empower the Government to notify the date from which the Authority under the said section shall not accept any application for anti-profiteering cases.
 - (xv) to amend relevant sections of the Act so as to incorporate a reference to the newly inserted section 74A.
4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 13th November, 2024.

Dr. SATISH KUMAR,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 13th November, 2024, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

Financial Memorandum

The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of State.

ANNEXURE

**EXTRACT FROM THE HARYANA GOODS AND SERVICES
TAX ACT, 2017
(19 of 2017)**

In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

* * * * *

(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which received tax invoices issued under section 31 towards the receipt of input services and issued a prescribed document for the purposes of distributing the credit of Central Tax, State Tax, Integrated Tax or Union Territory Tax paid on the said services to a supplier of taxable goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the said office;

Levy and collection.

9. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), there shall be levied a tax called the Haryana Goods and Services tax on all intra-State supplies of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption, on the value determined under section 15 and at such rates, not exceeding twenty per cent, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council and collected in such manner, as may be prescribed and shall be paid by the taxable person.

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

(5) * * * * *

Composition levy.

10. (1) * * * * *

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

(5) If the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be, despite not being eligible, such person shall, in addition to any tax that may be payable by him under any other provisions of this Act, be liable to a penalty and the provisions of section 73 or section 74 shall, mutatis mutandis, apply for determination of tax and penalty.

Power to grant exemption from tax.

11. (1) * * * * *

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

13.	(1)	*	*	*	*	*	Time of supply of services.
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	(a)	*	*	*	*	*	

(b) the date immediately following sixty days from the date of issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu thereof by the supplier,:

Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause (a) or clause (b), the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply:

	Provided	*	*	*	*		
16.	(1)	*	*	*	*	*	Eligibility and conditions for taking input tax credit.
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	(4)	*	*	*	*	*	
17.	(1)	*	*	*	*	*	Apportionment of credit and blocked credits.
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	(4)	*	*	*	*	*	
	(5)	*	*	*	*	*	
	(a)	*	*	*	*	*	
	(aa)*	*	*	*	*	*	
	(ab)*	*	*	*	*	*	
	(b)	*	*	*	*	*	
	(c)	*	*	*	*	*	
	(d)	*	*	*	*	*	
	(e)	*	*	*	*	*	
	(f)	*	*	*	*	*	
	(fa)*	*	*	*	*	*	
	(g)	*	*	*	*	*	
	(h)	*	*	*	*	*	

(i) any tax paid in accordance with the provisions of sections 74, 129 and 130.

Manner of
distribution of
credit by Input
Service
Distributor.

20. (1) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax as State tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or State tax, by way of issue of document containing the amount of input tax credit being distributed in such manner, as may be prescribed.

(2) The Input Service Distributor may distribute the credit subject to the following conditions, namely:-

- (a) the credit can be distributed to the recipients of credit against a document containing such details, as may be prescribed;
- (b) the amount of the credit distributed shall not exceed the amount of credit available for distribution;
- (c) the credit of tax paid on input services attributable to a recipient of credit shall be distributed only to that recipient;
- (d) the credit of tax paid on input services attributable to more than one recipient of credit shall be distributed amongst such recipients to whom the input service is attributable and such distribution shall be pro rata on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all such recipients to whom such input service is attributable and which are operational in the current year, during the said relevant period;
- (e) the credit of tax paid on input services attributable to all recipients of credit shall be distributed amongst such recipients and such distribution shall be pro rata on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all recipients and which are operational in the current year, during the said relevant period.

Explanation.— For the purposes of this section,-

- (a) the “relevant period” shall be—
 - (i) if the recipients of credit have turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which credit is to be distributed, the said financial year; or
 - (ii) if some or all recipients of the credit do not have any turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which the credit is to be distributed, the last quarter for which details of such turnover of all the recipients are available, previous to the month during which credit is to be distributed;

- (b) the expression "recipient of credit" means the supplier of goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the Input Service Distributor;
- (c) the term "turnover", in relation to any registered person engaged in the supply of taxable goods as well as goods not taxable under this Act, means the value of turnover, reduced by the amount of any duty or tax levied under entries 84 and 92A of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entry 51 and 54 of List II of the said Schedule.

21. Where the Input Service Distributor distributes the credit in contravention of the provisions contained in section 20 resulting in excess distribution of credit to one or more recipients of credit, the excess credit so distributed shall be recovered from such recipients alongwith interest, and the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, shall, mutatis mutandis, apply for determination of amount to be recovered.

30.	(1)	*	*	*	*	*	Revocation of cancellation of registration.
	(2)	*	*	*	*	*	

Provided that the application for revocation of cancellation of registration shall not be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

31.	(1)	*	*	*	*	*	Tax invoice.
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	(a)	*	*	*	*	*	
	(b)	*	*	*	*	*	
	(c)	*	*	*	*	*	
	(d)	*	*	*	*	*	
	(e)	*	*	*	*	*	

(f) a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both;

35.	(1)	*	*	*	*	*	Accounts and other records.
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	(4)	*	*	*	*	*	
	(5)	*	*	*	*	*	

(6) Subject to the provisions of clause (h) of sub-section (5) of section 17, where the registered person fails to account for the goods or services or both in accordance with the provisions of subsection (1), the proper officer shall determine the amount of tax payable on the goods or services or both that are not accounted for, as if such goods or services or both had been supplied by such person and the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, shall, mutatis mutandis, apply for determination of such tax.

Furnishing of returns.

39. (1) * * * * *
- (2) * * * * *

(3) Every registered person required to deduct tax at source under the provisions of section 51 shall furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, for the month in which such deductions have been made within ten days after the end of such month.

Payment of tax, interest, penalty and other amounts.

49. (1) * * * * *
- (2) * * * * *
- (3) * * * * *
- (4) * * * * *
- (5) * * * * *
- (6) * * * * *
- (7) * * * * *
- (8) * * * * *
- (a) * * * * *
- (b) * * * * *

(c) any other amount payable under this Act or the rules made thereunder including the demand determined under section 73 or section 74

Interest on delayed payment of tax.

50. (1) * * * * *

Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.

Tax deduction at source.

51. (1) * * * * *
- (2) * * * * *
- (3) * * * * *
- (4) * * * * *

- (5) * * * * *
- (6) * * * * *

(7) The determination of the amount in default under this section shall be made in the manner specified in section 73 or section 74.

- 54.** (1) * * * * * Refund of Tax.
 (2) * * * * *
 (3) * * * * *
 Provided * * * *

Provided further that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases where the goods exported out of India are subjected to export duty:

- Provided * * * * *
- (4) * * * * *
 - (5) * * * * *
 - (6) * * * * *
 - (7) * * * * *
 - (8) * * * * *
 - (9) * * * * *
 - (10) * * * * *
 - (11) * * * * *
 - (12) * * * * *
 - (13) * * * * *
 - (14) * * * * *

Explanation.- * * * *

- 61.** (1) * * * * * Scrutiny of returns.
 (2) * * * * *

(3) In case no satisfactory explanation is furnished within a period of thirty days of being informed by the proper officer or such further period, as may be permitted by him or where the registered person, after accepting the discrepancies, fails to take the corrective measure in his return for the month in which the discrepancy is accepted, the proper officer may initiate appropriate action including those under section 65 or section 66 or section 67, or proceed to determine the tax and other dues under section 73 or section 74.

Assessment of non-filers of returns.

62. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a registered person fails to furnish the return under section 39 or section 45, even after the service of a notice under section 46, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgement taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates.

Assessment of unregistered persons.

63. Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so or whose registration has been cancelled under subsection (2) of section 29 but who was liable to pay tax, the proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgment for the relevant tax periods and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates:

Summary Assessment in certain special cases.

64. (1) * * * * *

(2) On an application made by the taxable person within thirty days from the date of receipt of order passed under sub-section (1) or on his own motion, if the Additional Commissioner or Joint Commissioner considers that such order is erroneous, he may withdraw such order and follow the procedure laid down in section 73 or section 74.

Audit by tax authorities.

65. (1) * * * * *

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

(5) * * * * *

(6) * * * * *

(7) Where the audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under section 73 or section 74

Special audit.

66. (1) * * * * *

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

(5) * * * * *

(6) Where the special audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under section 73 or section 74.

70.	(1)	*	*	*	*	*	Power to summon persons to give evidence and produce documents.
73.	(1)	*	*	*	*	*	Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason other than fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	(4)	*	*	*	*	*	
	(5)	*	*	*	*	*	
	(6)	*	*	*	*	*	
	(7)	*	*	*	*	*	
	(8)	*	*	*	*	*	
	(9)	*	*	*	*	*	
	(10)	*	*	*	*	*	
	(11)	*	*	*	*	*	
74.	(1)	*	*	*	*	*	Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised by reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	(4)	*	*	*	*	*	
	(5)	*	*	*	*	*	
	(6)	*	*	*	*	*	
	(7)	*	*	*	*	*	
	(8)	*	*	*	*	*	
	(9)	*	*	*	*	*	
	(10)	*	*	*	*	*	
	(11)	*	*	*	*	*	
Explanation 1.-		*	*	*	*	*	

Explanation 2.—For the purposes of this Act, the expression “suppression” shall mean nondeclaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.

75.	(1)	Where the service of notice or issuance of order is stayed by an order of a court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of section 73 or sub-sections (2) and (10) of section 74, as the case may be.					General provisions relating to determination of tax.
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	

(4)	*	*	*	*	*
(5)	*	*	*	*	*
(6)	*	*	*	*	*
(7)	*	*	*	*	*
(8)	*	*	*	*	*
(9)	*	*	*	*	*

(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within three years as provided for in sub-section (10) of section 73 or within five years as provided for in sub-section (10) of section 74.

(11) An issue on which the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court has given its decision which is prejudicial to the interest of revenue in some other proceedings and an appeal to the Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court against such decision of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court is pending, the period spent between the date of the decision of the Appellate Authority and that of the Appellate Tribunal or the date of decision of the Appellate Tribunal and that of the High Court or the date of the decision of the High Court and that of the Supreme Court shall be excluded in computing the period referred to in sub-section (10) of section 73 or sub-section (10) of section 74 where proceedings are initiated by way of issue of a show cause notice under the said sections.

(12) Notwithstanding anything contained in section 73 or section 74, where any amount of self-assessed tax in accordance with a return furnished under section 39 remains unpaid, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of section 79.

Explanation.- * * * * *

(13) Where any penalty is imposed under section 73 or section 74, no penalty for the same act or omission shall be imposed on the same person under any other provision of this Act.

Advance ruling to be void in certain circumstances.

104.	(1)	*	*	*	*	*
------	-----	---	---	---	---	---

Explanation.—The period beginning with the date of such advance ruling and ending with the date of order under this sub-section shall be excluded while computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of section 73 or sub-sections (2) and (10) of section 74.

Appeals to Appellate Authority.

107.	(1)	*	*	*	*	*
	(2)	*	*	*	*	*
	(3)	*	*	*	*	*
	(4)	*	*	*	*	*
	(5)	*	*	*	*	*

- (6) * * * * *
- (a) * * * * *

(b) a sum equal to ten per cent of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order subject to a maximum of twenty-five crore rupees, in relation to which the appeal has been filed:

- (7) * * * * *
- (8) * * * * *
- (9) * * * * *
- (10) * * * * *
- (11) * * * * *
- Provided * * * * *

Provided further that where the Appellate Authority is of the opinion that any tax has not been paid or short-paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilized, no order requiring the appellant to pay such tax or input tax credit shall be passed unless the appellant is given notice to show cause against the proposed order and the order is passed within the time limit specified under section 73 or section 74.

112. (1) Any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or section 108 of this Act or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal.

Appeals to
Appellate
Tribunal.

- (2) * * * * *

(3) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order.

- (4) * * * * *
- (5) * * * * *

(6) The Appellate Tribunal may admit an appeal within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (1), or permit the filing of a memorandum of cross-objections within forty-five days after the expiry of the period referred to in sub-section (5), if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting it within that period.

(7)	*	*	*	*	*
(8)	*	*	*	*	*
(a)	*	*	*	*	*

(b) a sum equal to twenty percent of the remaining amount of tax in dispute, in addition to the amount paid under sub-section (6) of section 107, arising from the said order subject to a maximum of fifty crore rupees, in relation to which the appeal has been filed.

Penalty for certain offences.

122.	(1)	*	*	*	*	*
	(1A)	*	*	*	*	*
	(1B)	Any electronic commerce operator who-				
	(i)	*	*	*	*	*
	(ii)	*	*	*	*	*
	(iii)	*	*	*	*	*

Power to impose penalty in certain cases.

127. Where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not covered under any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 73 or section 74 or section 129 or section 130, he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person.

Power to waive penalty or fee or both.

128.	*	*	*	*	*
-------------	---	---	---	---	---

Anti-profiteering measure.

171. (1) * * * * *

(2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

(3)	*	*	*	*	*
(3A)	*	*	*	*	*
Provided	*	*	*	*	*


Explanation. - For the purposes of this section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both.

SCHEDULE III

[See Section 7]

**ACTIVITIES OR TRANSACTIONS WHICH SHALL BE TREATED
NEITHER AS A SUPPLY OF GOODS NOR A SUPPLY OF SERVICES**

(1)	*	*	*	*	*
(2)	*	*	*	*	*
(3)	*	*	*	*	*
(4)	*	*	*	*	*
(5)	*	*	*	*	*
(6)	*	*	*	*	*
(7)	*	*	*	*	*
(8)	*	*	*	*	*



हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या-22 एच०एल०ए०

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
(2) यह 25 सितम्बर, 2024 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (61) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम अप्रैल, 2025 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-
"61) "इनपुट सेवा वितरक" से अभिप्राय है, माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय, जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या के निमित्त इनपुट सेवाओं, जिसके अन्तर्गत धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के सम्बन्ध में बीजक भी सम्मिलित हैं, की प्राप्ति के मद्दे कर बीजकों को प्राप्त करता है, और धारा 20 में उपबन्धित रीति में ऐसे बीजकों के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करने के लिए दायी है;" 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 2 का संशोधन।
3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में, "मानवीय उपभोग के लिए मादक शराब" शब्दों के बाद, "और मानवीय उपभोग के लिए, मादक शराब के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी मादक या परिशोधित स्पिरिट" शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे। 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 9 का संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में, "धारा 73 या 74" शब्दों तथा अंकों के बाद, "या धारा 74क" शब्द, अंक तथा अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे। 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 10 का संशोधन।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 में धारा 11क का रखा जाना।

5. मूल अधिनियम की धारा 11 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:-

"11क. साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्गृहीत नहीं किए गए या कम उद्गृहीत किए माल और सेवा कर की वसूली नहीं करने की शक्ति.- इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि-

(क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी प्रदाय पर राज्य कर के उद्ग्रहण (उसके गैर-उद्ग्रहण सहित) के सम्बन्ध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी, या है; और

(ख) ऐसी प्रदाय,-

(i) उन मामलों में, जहां उक्त पद्धति के अनुसार राज्य कर उद्गृहीत नहीं किया गया था या नहीं किया जा रहा है, राज्य कर के लिए दायी थी या है; या

(ii) राज्य कर, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार उद्गृहीत किया गया था या किया जा रहा है, की उच्चतर राशि के लिए दायी थी या है,

तो सरकार परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश कर सकती है कि ऐसी प्रदायों पर भुगतानयोग्य सम्पूर्ण राज्य कर, या ऐसे प्रदायों पर भुगतानयोग्य राज्य कर के अधिक्य में राज्य कर, जैसी भी स्थिति हो, किन्तु उक्त पद्धति हेतु, उन प्रदायों के सम्बन्ध में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन पर राज्य कर उक्त पद्धति के अनुसार उद्गृहीत नहीं किया गया था, या नहीं किया जा रहा है, या कम उद्गृहीत किया गया था, या कम उद्गृहीत किया जा रहा है।"

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 13 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में,-

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे और प्रथम नवम्बर, 2024 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्-

"(ख) प्रदायकर्ता द्वारा, उन मामलों में जहां बीजक प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज, चाहे किसी नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तिथि से साठ दिन के ठीक पश्चात्पूर्वी तिथि; या

(ग) उन मामलों में, जहां बीजक प्राप्तकर्ता द्वारा जारी किया जाना है, वहाँ प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि;"

(ii) प्रथम परन्तुक में, "या खण्ड (ख)" शब्दों, कोष्ठकों तथा अक्षर के बाद, "या खण्ड (ग)" शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे।

7. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के बाद, निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ी जाएंगी तथा प्रथम जुलाई, 2017 से जोड़ी गई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 16 का संशोधन।

"(5) उपधारा (4) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 से सम्बन्धित माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के सम्बन्ध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में, जो नवम्बर, 2021 के तीसवें दिन तक दायर की गई है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहाँ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 29 के अधीन रद्द किया जाता है और तत्पश्चात् या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहरण किया जाता है और जहाँ किसी बीजक या नामे नोट के सम्बन्ध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तिथि को उपधारा (4) के अधीन निर्बन्धित नहीं था, वहाँ उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन विवरणी में, माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जो-

(i) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् आने वाले नम्बर के तीसवें दिन, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट सम्बन्धित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, जो भी पहले हो, दायर की जाती है;

या

(ii) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तिथि या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तिथि, जैसी भी स्थिति हो, से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तिथि तक की अवधि हेतु, जहाँ ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर दायर की जाती है,

जो भी बाद में हो।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खण्ड (झ) में, "धारा 74, 129 और 130" शब्दों, अंकों और चिह्न के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी अवधि के सम्बन्ध में धारा 74" शब्द, अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 17 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा प्रथम अप्रैल, 2025 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:-

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 में धारा 20 का प्रतिस्थापन।

"20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.- (1) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता के किसी कार्यालय, जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न

व्यक्तियों के लिए या के निमित्त इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे पर बीजक प्राप्त करता है, जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के सम्बन्ध में बीजक भी सम्मिलित हैं, से धारा 24 के खण्ड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकृत किए जाने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निबन्धन तथा शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किए गए बीजकों पर प्रभारित राज्य कर या एकीकृत कर के प्रत्यय का वितरण करेगा, जिसमें उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में राज्य में पंजीकृत किसी सुभिन्न व्यक्ति द्वारा धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के उद्ग्रहण के अधीन सेवाओं के सम्बन्ध में भुगतान किया गया राज्य कर या एकीकृत कर का प्रत्यय भी शामिल है।

(3) राज्य कर का प्रत्यय, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में इनपुट कर प्रत्यय की राशि अन्तर्विष्ट करते हुए दस्तावेज जारी करने के माध्यम से राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर को एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरित किया जाएगा।”।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 21 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 21 में, “धारा 73 या धारा 74” शब्दों और अंको के बाद, “या धारा 74क” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे।।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 30 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के परन्तुक में,—

- (i) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- (ii) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि रजिस्ट्रकरण के रद्दकरण का ऐसा प्रतिसंहरण ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन होगा, जो विहित किए जाएं।”।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 31 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में,—

- (i) “दोनों के सम्बन्ध में” शब्दों के बाद, “यथा विहित अवधि के भीतर” शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे;
- (ii) निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

“व्याख्या:— खण्ड (च) के प्रयोजनों हेतु, “प्रदायकर्ता, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है” अभिव्यक्ति में, ऐसा प्रदायकर्ता शामिल होगा, जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत है।”।

13. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (6) में, "धारा 73 या 74" शब्दों और अंकों के बाद, "या धारा 74क" शब्द, अंक तथा अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे। 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 35 का संशोधन।
14. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 39 का संशोधन।
- "(3) धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौती हेतु अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किए जाए, प्रत्येक कलेंडर मास के लिए मास के दौरान की गई कटौतियों की विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा :
- परन्तु उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौती की गई हो या नहीं।"
15. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) के खण्ड (ग) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों तथा अंकों के बाद, "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे। 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 49 का संशोधन।
16. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परन्तुक में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों तथा अंकों के बाद, "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे। 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 50 का संशोधन।
17. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (7) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों तथा अंकों के बाद, "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे। 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 51 का संशोधन।
18. मूल अधिनियम की धारा 54 में,- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 54 का संशोधन।
- (क) उप-धारा (3) में, द्वितीय परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से लोप किया गया समझा जाएगा;
- (ख) उपधारा (14) के बाद और व्याख्या से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :-
- "(15) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, मालों की शून्य दर प्रदाय के मददे अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय का या मालों की शून्य दर प्रदाय के मददे भुगतान किए गए एकीकृत कर का कोई भी प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां मालों की ऐसी शून्य दर प्रदाय निर्यात शुल्क के अध्यक्षीन है।"

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 61 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (3) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों तथा अंकों के बाद, "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 62 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों तथा अंकों के बाद, "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे।।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 63 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 63 में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों तथा अंकों के बाद "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे।।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 64 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में, "धारा 73 और धारा 74" शब्दों तथा अंकों के बाद, "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे।।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 65 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (7) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों तथा अंकों के बाद, "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 66 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (6) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों तथा अंकों के बाद, "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 70 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप में या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, जैसा ऐसा अधिकारी निर्देश करे, और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षण के दौरान सच्चाई बताएगा या बयान देगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा।"।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 73 का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 73 में,—

(i) उपान्तिक शीर्ष में, "किसी अन्य कारण से" शब्दों के बाद, "वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से सम्बन्धित" शब्द, अंक तथा चिह्न रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) उपधारा (11) के बाद, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(12) इस धारा के उपबन्ध वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से सम्बन्धित कर निर्धारण के लिए लागू होंगे।"।

27. मूल अधिनियम की धारा 74 में,—

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 74 का संशोधन।

(i) उपान्तिक शीर्ष में, "किसी अन्य कारण से" शब्दों के बाद, "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से सम्बन्धित" शब्द, अंक तथा चिह्न रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) उपधारा (11) के बाद, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(12) इस धारा के उपबन्ध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से सम्बन्धित कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे।";

(iii) व्याख्या 2 का लोप कर दिया जाएगा।

28. मूल अधिनियम की धारा 74 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 में धारा 74क का रखा जाना।

"74क. किसी भी कारण से वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे से संबंधित भुगतान नहीं किए गए या कम भुगतान किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर अथवा गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण.— (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर, जो इस प्रकार भुगतान नहीं किया गया है या जो इस प्रकार कम भुगतान किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, से प्रभार्य व्यक्ति को, उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न वह धारा 50 के अधीन उस पर भुगतानयोग्य ब्याज के साथ नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि तथा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्गृहणीय शारित का भुगतान करे, नोटिस की तामील करेगा :

परन्तु यदि किसी वित्तीय वर्ष में वह कर, जिसका भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या उपयोग किया गया है, एक हजार रूपए से कम है, तो कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

(2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तिथि से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तिथि से बयालीस मास के भीतर उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया है, वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर उपधारा (1) के अधीन आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी अवधियों के लिए भुगतान नहीं किए गए या कम भुगतान किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर अथवा गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण तामील कर सकता है।

(4) ऐसे विवरण की तामील, उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए जिन आधारों पर विश्वास किया गया है, वे समान हैं जैसा कि पूर्व नोटिस में वर्णित किए गए हैं, पूर्ववर्ती नोटिस में उल्लिखित आधारों के हैं, नोटिस की तामील समझी जाएगी।

(5) उस मामले में, जहां किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहां शास्ति,—

(i) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण से भिन्न किसी कारण से, ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रूपए होगी, जो भी अधिक हो;

(ii) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण के लिए ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगी।

(6) समुचित अधिकारी, कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की राशि अवधारित करेगा और आदेश जारी करेगा।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट नोटिस को जारी करने की तिथि से बारह मांस के भीतर उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा:

परन्तु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहां आयुक्त, या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो समुचित अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ हो किन्तु राज्य कर के संयुक्त आयुक्त के रैंक से नीचे का न हो, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, उक्त अवधि को अधिकतम छह मांस की और अवधि तक बढ़ा सकता है।

(8) जहां कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण से भिन्न किसी कारण से किसी कर का भुगतान

नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,—

- (i) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील से पूर्व, अपने स्वयं के अवधारण के आधार पर ऐसे कर या समुचित अधिकारी द्वारा यथा अवधारित कर का धारा 50 के अधीन भुगतानयोग्य ब्याज के साथ कर की राशि का भुगतान कर सकता है तथा समुचित अधिकारी को ऐसे भुगतान की लिखित रूप में सूचना दे सकता है, तथा समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार भुगतान किए गए कर या भुगतानयोग्य किसी शास्ति के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन कोई नोटिस या उप-धारा (3) के अधीन विवरण, जैसी भी स्थिति हो, तामील नहीं करेगा;
- (ii) कारण बताओ नोटिस जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन भुगतानयोग्य ब्याज के साथ उक्त कर का भुगतान कर सकता है, तथा ऐसा करने पर, कोई भी शास्ति भुगतानयोग्य नहीं होगी और उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियों को समाप्त हुआ समझा जाएगा।
- (9) जहां कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाए जाने के कारण किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो कर से प्रभार्य व्यक्ति,—

- (i) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील से पूर्व, अपने स्वयं के अवधारण के आधार पर ऐसे कर या समुचित अधिकारी द्वारा यथा अवधारित कर का धारा 50 के अधीन भुगतानयोग्य ब्याज के साथ कर की राशि तथा ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का भुगतान कर सकता है तथा समुचित अधिकारी को ऐसे भुगतान की लिखित रूप में सूचना दे सकता है और समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार भुगतान किए गए कर या भुगतानयोग्य किसी शास्ति के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन किसी नोटिस की तामील नहीं करेगा;
- (ii) नोटिस जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन भुगतानयोग्य ब्याज के साथ उक्त कर और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का भुगतान कर सकता है, तथा ऐसा करने पर, उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियों को समाप्त हुआ समझा जाएगा;
- (iii) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन कर के साथ उस पर भुगतानयोग्य ब्याज तथा ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य

शास्ति का भुगतान कर सकता है, तथा ऐसा करने पर, उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियों को समाप्त हुआ समझा जाएगा।

(10) जहां समुचित अधिकारी की राय है कि उप-धारा (8) के खण्ड (i) या उप-धारा (9) के खण्ड (i) के अधीन भुगतान की गई राशि वास्तविक रूप से भुगतानयोग्य राशि से कम है, तो वह ऐसी राशि के संबंध में, जो वास्तविक रूप से भुगतानयोग्य राशि से कम होती है, उप-धारा (1) में यथा उपबंधित नोटिस जारी करने की कार्यवाही करेगा।

(11) उप-धारा (8) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (5) के खण्ड (i) के अधीन शास्ति वहां भुगतानयोग्य होगी जहां स्वतः निर्धारित कर की किसी राशि या कर के रूप में एकत्रित की गई किसी राशि का भुगतान ऐसे कर के भुगतान की नियत तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर नहीं किया गया है।

(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे से संबंधित कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

व्याख्या 1.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) "उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां" अभिव्यक्ति में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी;
- (ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का भुगतान करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाता है, और इस धारा के अधीन ऐसी कार्यवाहियों का मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध समापन कर लिया गया है, तो धारा 122 तथा धारा 125 के अधीन शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाती हैं।

व्याख्या 2.— इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु, "छिपाना" अभिव्यक्ति का अर्थ होगा कि तथ्यों या सूचना को घोषित नहीं करना, जिन्हें कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करना अपेक्षित है, या समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असफल होना।"।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 75 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 75 में,—

- (क) उप-धारा (1) में, "धारा 74 की उप-धारा (2) और उप-धारा (10)" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के बाद, "या धारा 74क की उप-धारा (2) और उप-धारा (7)" शब्द, अंक, चिह्न तथा कोष्ठक रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:-

“(2क) जहां किसी अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उप-धारा (5) के खण्ड (ii) के अधीन शास्ति इस कारण से मान्य नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होते हैं, जिसे नोटिस जारी किया गया था, तो धारा 74क की उप-धारा (5) के खण्ड (i) के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति भुगतानयोग्य होगी।”;

(ग) उप-धारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:-

“(10) न्यायनिर्णायन कार्यवाहियों को समाप्त हुआ समझा जाएगा, यदि धारा 73 की उप-धारा (10) या धारा 74 की उप-धारा (10) या धारा 74क की उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।”;

(घ) उप-धारा (11) में, “धारा 74 की उप-धारा (10)” शब्दों, अंकों, चिह्न तथा कोष्ठक के बाद, “या धारा 74क की उप-धारा (7)” शब्द, अंक, चिह्न तथा कोष्ठक रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ङ) उप-धारा (12) में, “धारा 73 या धारा 74” शब्दों तथा अंकों के बाद, “या धारा 74क” शब्द तथा अंक रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे;

(च) उप-धारा (13) में, “धारा 73 या धारा 74” शब्दों तथा अंकों के बाद, “या धारा 74क” शब्द तथा अंक रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे।

30. मूल अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (1) की व्याख्या में, “धारा 74 की उप-धारा (2) तथा उप-धारा (10)” शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के बाद, “या धारा 74क की उप-धारा (2) तथा उप-धारा (7)” शब्द, अंक, चिह्न तथा कोष्ठक रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 104 का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 107 में,-

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 107 का संशोधन।

(क) उप-धारा (6) में खण्ड (ख) में, “पच्चीस” शब्द के स्थान पर, “बीस” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा;

(ख) उप-धारा (11) के द्वितीय परन्तुक में, “धारा 73 या धारा 74” शब्दों तथा अंकों के बाद, “या धारा 74क” शब्द तथा अंक रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 112 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 112 में,—

- (क) उप-धारा (1) में, "अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तिथि" शब्दों के बाद, "या ऐसी तिथि, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के सम्मुख अपील दायर करने के लिए परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी बाद में हो," शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे तथा प्रथम अगस्त, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे;
- (ख) उप-धारा (3) में, "उक्त आदेश पारित किया गया है," शब्दों तथा चिह्न के बाद, "या ऐसी तिथि, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के सम्मुख आवेदन दायर करने के प्रयोजन हेतु परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी बाद में हो," शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे तथा प्रथम अगस्त, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे;
- (ग) उप-धारा (6) में, "अपील स्वीकार कर सकता है," शब्दों तथा चिह्न के बाद, "या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर आवेदन दायर करने के लिए अनुमति दे सकता है" शब्द, चिह्न, कोष्ठक तथा अंक रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे;
- (घ) उप-धारा (8) में, खण्ड (ख) में,—
- (i) "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
- (ii) "पचास करोड़ रूपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस करोड़ रूपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 122 का संशोधन।

33. मूल अधिनियम की धारा 122 की उप-धारा (1ख) में, "कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जो" शब्दों के स्थान पर, "कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्रित करने के लिए दायी है," शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम अक्टूबर, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 में 122क का रखा जाना।

34. मूल अधिनियम की धारा 122 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी तथा प्रथम अक्टूबर, 2024 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"122क. "विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति.— (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो ऐसे मालों के विनिर्माण में लगा हुआ है, जिनके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कोई विशिष्ट प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशिष्ट प्रक्रिया की उल्लंघना में कार्य करता है, तो वह अध्याय XV या इस अध्याय के किसी अन्य उपबंधों के अधीन ऐसी किसी शास्ति, जिसका उसके द्वारा भुगतान किया जा चुका है या भुगतानयोग्य है, के

अतिरिक्त इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई प्रत्येक मशीन के लिए एक लाख रूपए की राशि के बराबर शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई प्रत्येक मशीन जब्ती तथा समपहरण के लिए दायी होगी:

परन्तु ऐसी मशीन का समपहरण नहीं किया जाएगा, जहां—

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का भुगतान कर दिया गया है; तथा

(ख) शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण करवा लिया गया है।”।

35. मूल अधिनियम की धारा 127 में, “धारा 73 या धारा 74” शब्दों तथा अंकों के बाद, “या धारा 74क” शब्द, अंक तथा अक्षर रखे जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 127 का संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 128 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 में 128क का रखा जाना।

“128क. कतिपय कर अवधियों के लिए, धारा 73 के अधीन उठाई गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन.— (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा कर की कोई राशि,—

(क) धारा 73 की उप-धारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस या धारा 73 की उप-धारा (3) के अधीन जारी किए गए विवरण, तथा जहां धारा 73 की उप-धारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या

(ख) धारा 73 की उप-धारा (9) के अधीन पारित किए गए किसी आदेश, तथा जहां धारा 107 की उप-धारा (11) या धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या

(ग) धारा 107 की उप-धारा (11) या धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन पारित किए गए किसी आदेश, तथा जहां धारा 113 की उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

के अनुसार प्रथम जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि अथवा उसके किसी भाग से संबंधित भुगतानयोग्य है, और उक्त व्यक्ति ऐसी तिथि, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को या उससे पूर्व खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट नोटिस या विवरण या आदेश, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार भुगतानयोग्य कर की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करता है, तो धारा 50 के अधीन कोई ब्याज तथा इस अधिनियम के अधीन

कोई शास्ति भुगतानयोग्य नहीं होगी तथा उक्त नोटिस या आदेश या विवरण, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में सभी कार्यवाहियां ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यक्षीन समाप्त हुई समझी जाएंगी :

परन्तु जहां धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, और धारा 75 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है या पारित किया जाना अपेक्षित है, तो उक्त नोटिस या आदेश को इस उप-धारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नोटिस या आदेश, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में माना जाएगा :

परन्तु यह और कि उन मामलों में जहाँ धारा 107 की उप-धारा (3) या धारा 112 की उप-धारा (3) के अधीन कोई आवेदन दायर किया गया है या धारा 117 की उप-धारा (1) या धारा 118 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा कोई अपील दायर की गई है या जहां धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के सापेक्ष या प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देशों के सापेक्ष कोई कार्यवाही संस्थित की गई है, तो इस उप-धारा के अधीन कार्यवाहियों का समापन इस शर्त के अध्यक्षीन होगा कि उक्त व्यक्ति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के आदेश के अनुसार भुगतानयोग्य कर की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, का भुगतान उक्त आदेश की तिथि से तीन मास के भीतर करता है :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा ब्याज तथा शास्ति पहले ही भुगतान किए जा चुके हैं, उनका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) में दी गई कोई भी बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के कारण किसी व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य किसी राशि के संबंध में लागू नहीं होगी।

(3) उप-धारा (1) में दी गई कोई भी बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां उक्त व्यक्ति द्वारा दायर की गई अपील या रिट याचिका, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय, जैसी भी स्थिति हो, के सम्मुख लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा, उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित तिथि को या से पूर्व, वापस नहीं ली गई है।

(4) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी राशि का भुगतान किया गया है और उक्त उप-धारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी गई हैं, धारा 107 की उप-धारा (1) या धारा 112 की उप-धारा (1) के अधीन कोई भी अपील उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग), जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं हो सकेगी।

37. मूल अधिनियम की धारा 171 में,—

(क) उप-धारा (2) में,—

- (i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- (ii) निम्नलिखित परन्तुक तथा व्याख्या रखे जाएंगे तथा 27 सितम्बर, 2024 से रखे गए समझे जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिससे उक्त प्राधिकरण, चाहे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या उस द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के मूल्यों में अनुपातिक कमी के वास्तविक परिणामतः हुई कर दर में कमी की जाँच के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा।

व्याख्या.— इस उप-धारा के प्रयोजनों हेतु, "जाँच के लिए अनुरोध" का अर्थ होगा, चाहे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी, उस द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के मूल्यों में अनुपातिक कमी के वास्तविक परिणामतः हुई है, की जाँच के लिए अनुरोध करने वाले किसी आवेदक द्वारा किया गया लिखित आवेदन।

- (ख) उप-धारा (3क) में, विद्यमान व्याख्या को उसकी व्याख्या 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित व्याख्या 1 के बाद, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी तथा 27 सितम्बर, 2024 से जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

'व्याख्या 2.— इस उप-धारा के प्रयोजनों हेतु, "प्राधिकरण" अभिव्यक्ति में "अपील अधिकरण" सम्मिलित होगा।'

38. मूल अधिनियम की अनुसूची III में, पैरा 8 के बाद, निम्नलिखित पैरे जोड़े जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 2024 से जोड़े गए समझे जाएंगे, अर्थात्:—

9. सह-बीमा करार में बीमाकृत को मुख्य बीमाकर्ता तथा सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के नियोजन का क्रियाकलाप, इस शर्त के अध्यक्षीन होगा कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमाकृत द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि पर केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर तथा एकीकृत कर का भुगतान करता है।

10. किसी बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को सेवाएं, जिसके लिए बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान किए गए पुनर्बीमा प्रीमियम से अध्यक्षीन कमीशन या पुनर्बीमा

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 171 का संशोधन।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की अनुसूची III का संशोधन।

कमीशन काटा जाता है, इस शर्त के अधीन होगी कि बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को भुगतानयोग्य अर्धपक कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन सहित सकल पुनर्बीमा प्रीमियम पर केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर तथा एकीकृत कर पुनर्बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है।”।

भुगतान किए गए कर या रिवर्स किए गए इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय नहीं होना।

39. सभी तात्त्विक समय पर जब धारा 7 लागू हो, भुगतान किए गए सभी कर या रिवर्स किए गए इनपुट कर प्रत्यय, जो इस प्रकार भुगतान नहीं किए हों या रिवर्स नहीं किए हों, के लिए कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

40. (1) हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और उसके अंतर्गत तथा वित्त अधिनियम, 2024 (2024 का केन्द्रीय अधिनियम 8) और वित्त अधिनियम (सं0 2), 2024 (2024 का केन्द्रीय अधिनियम 15) के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है, अर्थात् :-

- (i) मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब के विनिर्माण में प्रयुक्त विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट पर राज्य कर न लगाया जा सके के लिए अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में संशोधन किया जाना।
- (ii) अधिनियम में एक नई धारा 11 क का रखा जाना ताकि सरकार को राज्य कर के गैर-उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण को नियमित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जहां वह संतुष्ट हो कि ऐसा गैर- उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण सामान्य व्यवहार का परिणाम था।
- (iii) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में संशोधन करना ताकि उन मामलों में सेवाओं की प्रदाय का समय निर्दिष्ट किया जा सके जहां रिवर्स चार्ज आपूर्ति में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है।
- (iv) अधिनियम की धारा 16 में एक नई उप-धारा (5) का रखा जाना ताकि विद्यमान उप-धारा (4) के लिए एक अपवाद बनाया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए बीजक या नामे नोट के संबंध में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 के अंतर्गत किसी भी विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जो तीस नवंबर, 2021 तक दाखिल किया जाता है।
- (v) इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण के तरीके से संबंधित अधिनियम की धारा 20 को प्रतिस्थापित किया जाना।
- (vi) अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) को प्रतिस्थापित किया जाना ताकि स्रोत पर कर कटौती करने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक माह के लिए विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया जा सके, भले ही उक्त माह में कोई कटौती की गई हो या नहीं।
- (vii) अधिनियम की धारा 73 में एक नई उप-धारा (12) का रखा जाना ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण के लिए उक्त धारा के लागू होने को निर्बंधित किया जा सके और तदनुसार उक्त धारा के उपांतिक शीर्षक को संशोधित किया जाना।
- (viii) अधिनियम की धारा 74 में एक नई उप-धारा (12) का रखा जाना ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण के लिए उक्त धारा के लागू होने को निर्बंधित किया जा सके और तदनुसार उक्त धारा के उपांतिक शीर्षक को संशोधित किया जाना।

- (ix) अधिनियम में एक नई धारा 74क का रखा जाना ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे के लिए भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए कर या गलत तरीके से प्रतिदाय किए गए कर या किसी भी कारण से गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्धारण का प्रावधान किया जा सके।
- (x) अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में संशोधन किया जाना ताकि अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि को राज्य कर में पच्चीस करोड़ रुपये से घटाकर बीस करोड़ रुपये किया जा सके।
- (xi) अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (1) और (3) को संशोधित करना ताकि सरकार को अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए तारीख अधिसूचित करने हेतु और अपीलें या आवेदन फाइल करने के लिए पुनरीक्षित समय-सीमा का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके।
- (xii) किसी व्यक्ति द्वारा विशेष प्रक्रिया के अनुसार माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कुछ मशीनों को पंजीकृत न कराने पर शास्ति का प्रावधान करने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 122क का रखा जाना।
- (xiii) अधिनियम में एक नई धारा 128क का रखा जाना ताकि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 के अधीन जारी त्रुटिवश प्रतिदाय के संबंध में मांग सूचनाओं के सिवाय जारी मांग नोटिसों के संबंध में ब्याज और जुर्माने की सशर्त छूट प्रदान की जा सके।
- (xiv) अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (2) का संशोधन किया जाना, जिससे सरकार को उस तारीख को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जिससे उक्त धारा के अधीन प्राधिकारी मुनाफाखोरी निरोधी मामलों के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
- (xv) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं को संशोधित करना ताकि नई रखी गई धारा 74क का संदर्भ सम्मिलित किया जा सके।
4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

नायब सिंह,
मुख्यमन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :

दिनांक 13 नवम्बर, 2024

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

वित्तीय झापन

प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 में राज्य की समेकित निधि से आवर्ती या गैर आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

अनुबंध
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 से उद्धरण
(2017 का 19)

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से अभिप्राय है, माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्या वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर भुगतान केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;

उद्ग्रहण और संग्रहण।

9. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मादक शराब के प्रदाय को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अंतरराज्यीय प्रदायों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं, हरियाणा माल और सेवा कर नामक कर का उद्ग्रहण और संग्रहण ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में किया जाएगा और कराधेय व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

(5) * * * * *

प्रशमन उद्ग्रहण।

10. (1) * * * * *

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

(5) यदि समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (1) या उपधारा (2)क), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन कर भुगतान कर दिया है, तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा भुगतान योग्य हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे।

कर से छूट देने की शक्ति।

11. (1) * * * * *

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

सेवाओं के प्रदाय का समय।

13. (1) * * * * *

(2) * * * * *

- (3) * * * * *
- (क) * * * * *

(ख) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे किसी नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तिथि से साठ दिन के ठीक पश्चात्पूर्ति तिथि :

परंतु जहां खंड (क) या (ख) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि होगा :

	परंतु	*	*	*	*	*	
16.	(1)	*	*	*	*	*	इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें।
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	(4)	*	*	*	*	*	
17.	(1)	*	*	*	*	*	प्रत्यय और निरुद्ध प्रत्यय का प्रभाजन।
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	(4)	*	*	*	*	*	
	(5)	*	*	*	*	*	
	(क)	*	*	*	*	*	
	(कक)	*	*	*	*	*	
	(कख)	*	*	*	*	*	
	(ख)	*	*	*	*	*	
	(ग)	*	*	*	*	*	
	(घ)	*	*	*	*	*	
	(ङ)	*	*	*	*	*	
	(च)	*	*	*	*	*	
	(चक)	*	*	*	*	*	
	(छ)	*	*	*	*	*	
	(ज)	*	*	*	*	*	

(झ) धारा 74, 129 और 130 के उपबंधों के अनुसार भुगतान किया गया कोई कर।

20. (1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की राशि दी गई हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा।

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकता है, अर्थात् :-

- (क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमें ऐसे ब्यौरे दिए गए हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है ;
- (ख) वितरित किए गए प्रत्यय की राशि, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं होगी ;
- (ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को उसके संबंध में मानी गई इनपुट सेवाओं पर भुगतान कर के प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा ;
- (घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को उनके संबंध में मानी गई इनपुट सेवाओं पर भुगतान कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है, और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके संबंध में ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में सक्रियात्मक हैं, आवर्त का संकलन के अनुपाततः होगा ;
- (ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए उनके संबंध में मानी गई इनपुट सेवाओं पर भुगतान कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के आधार पर, सभी प्राप्तिकर्ताओं जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में सक्रियात्मक हैं, के आवर्त का संकलन के अनुपाततः होगा ।

व्याख्या.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) "सुसंगत अवधि"-

- (i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी ; या
 - (ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं ;
- (ख) "प्रत्यय का प्राप्तिकर्ता" अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल, जो कराधेय नहीं हैं, के प्रदाय में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" शब्द से अभिप्राय है, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 84 और 92क के अधीन और उक्त अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 51 और 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की राशि को घटाकर आवर्त का मूल्य।

21. जहां इनपुट सेवा कर वितरक, धारा 20 में दिए गए उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जाने वाली राशि के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति।

30. (1) * * * * * रजिस्ट्रीकरण के
(2) * * * * * रद्दकरण का
प्रतिसंहरण।

परंतु रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा।

31. (1) * * * * * कर बीजक।
(2) * * * * *
(3) * * * * *
(क) * * * * *
(ख) * * * * *
(ग) * * * * *
(घ) * * * * *
(ङ) * * * * *

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या (4) के अधीन कर भुगतान करने के लिए दायी हैं, किसी ऐसे प्रदायकर्ता, जो माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तिथि को रजिस्ट्रीकृत नहीं है, से उसके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में बीजक जारी करेगा ;

(छ) * * * * *

35. (1) * * * * * लेखे और अन्य
(2) * * * * * अभिलेख।
(3) * * * * *

- (4) * * * * *
- (5) * * * * *

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अधीन, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में असफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों जिसका लेखा नहीं दिया गया है, पर भुगतानयोग्य कर की राशि, अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाओं या दोनों का ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदाय किया गया था और धारा 73 या 74, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

स्रोत पर कर का संग्रहण।

39. (1) * * * * *
- (2) * * * * *

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौतियां, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर की गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, विवरणी देगा।

कर, ब्याज, शास्ति और अन्य राशियों का भुगतान।

49. (1) * * * * *
- (2) * * * * *
- (3) * * * * *
- (4) * * * * *
- (5) * * * * *
- (6) * * * * *
- (7) * * * * *
- (8) * * * * *
- (क) * * * * *
- (ख) * * * * *

(ग) इस अधिनियम या इसके बनाए गए नियमों के अधीन भुगतानयोग्य कोई अन्य राशि, इसमें धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी शामिल है।

कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज।

50. (1) * * * * *

परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार किसी कर अवधि के दौरान किए गए प्रदायों के संबंध में और शोध्य तिथि के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित भुगतान योग्य कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए भुगतानयोग्य होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से विकलन करके भुगतान किया जाता है।

51.	(1)	*	*	*	*	*	स्रोत पर कर कटौती ।
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	(4)	*	*	*	*	*	
	(5)	*	*	*	*	*	
	(6)	*	*	*	*	*	

(7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की राशि का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।

54.	(1)	*	*	*	*	*	कर प्रतिदाय।
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	परंतु	*	*	*	*	*	

परंतु यह और कि उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय को उन मामलों में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है :

	परंतु	*	*	*	*	*
(4)		*	*	*	*	*
(5)		*	*	*	*	*
(6)		*	*	*	*	*
(7)		*	*	*	*	*
(8)		*	*	*	*	*
(9)		*	*	*	*	*
(10)		*	*	*	*	*
(11)		*	*	*	*	*
(12)		*	*	*	*	*
(13)		*	*	*	*	*
(14)		*	*	*	*	*
	व्याख्या.-	*	*	*	*	*

61.	(1)	*	*	*	*	*	विवरणियों की संवीक्षा।
	(2)	*	*	*	*	*	

(3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा मंजूर की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य बकाया का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा।

विवरणियों को दायर नहीं करने वाले का निर्धारण ।

62. (1) धारा 73 या धारा 74 में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति धारा 46 के अधीन नोटिस की तामील के पश्चात् भी धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी सुसंगत सामग्री जो उपलब्ध है या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को विचार में लेने के पश्चात् और अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से उक्त व्यक्ति का कर निर्धारण करेगा तथा वित्त वर्ष, जिससे भुगतान न किए गए कर संबंधित हैं, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा ।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण ।

63. धारा 73 या धारा 74 में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किंतु जो कर का भुगतान करने का दायी था तो समुचित अधिकारी सुसंगत कर अवधि के लिए अपनी सर्वोत्तम जानकारी से उक्त व्यक्ति के निर्धारण के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिससे भुगतान न किए गए कर संबंधित हैं, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा :

कतिपय विशेष मामलों में संक्षिप्त निर्धारण ।

64. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या यदि स्वयंप्रेरणा से अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश को वापस ले लेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा ।

65. (1) * * * * *

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

(5) * * * * *

(6) * * * * *

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का भुगतान न करने का पता लगने या कम कर भुगतान किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा ।

विशेष लेखापरीक्षा ।

66. (1) * * * * *

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

(5) * * * * *

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का भुगतान न करने का पता लगने या कम कर भुगतान किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा ।

70.	(1)	*	*	*	*	*	व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति ।
73.	(1)	*	*	*	*	*	कपट या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से भुगतान न किये गये कर या कम भुगतान कर या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण ।
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	(4)	*	*	*	*	*	
	(5)	*	*	*	*	*	
	(6)	*	*	*	*	*	
	(7)	*	*	*	*	*	
	(8)	*	*	*	*	*	
	(9)	*	*	*	*	*	
	(10)	*	*	*	*	*	
	(11)	*	*	*	*	*	
74.	(1)	*	*	*	*	*	कपट या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाने के कारण से भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए कर या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण ।
	(2)	*	*	*	*	*	
	(3)	*	*	*	*	*	
	(4)	*	*	*	*	*	
	(5)	*	*	*	*	*	
	(6)	*	*	*	*	*	
	(7)	*	*	*	*	*	
	(8)	*	*	*	*	*	
	(9)	*	*	*	*	*	
	(10)	*	*	*	*	*	
	(11)	*	*	*	*	*	
व्याख्या 1.-		*	*	*	*	*	

व्याख्या 2.- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "छिपाना" अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिन्हें कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफल होगा।

कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध।

75. (1) जहां किसी नोटिस की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) तथा धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जाएगा।

(2)	*	*	*	*	*
(3)	*	*	*	*	*
(4)	*	*	*	*	*
(5)	*	*	*	*	*
(6)	*	*	*	*	*
(7)	*	*	*	*	*
(8)	*	*	*	*	*
(9)	*	*	*	*	*

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथा उपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथा उपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।

(11) कोई मुद्दा, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना निर्णय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण के निर्णय की तिथि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तिथि के बीच की कालावधि को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन कारण बताओ सूचना जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं।

(12) धारा 73 या धारा 74 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई राशि पूर्णत या अंशतः भुगतान के बिना रहती है या ऐसे कर पर भुगतानयोग्य ब्याज की कोई राशि भुगतान के बिना रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी।

व्याख्या.— *

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसी कृत्य या लोप के लिए उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

104. (1) * * * * *

व्याख्या.—धारा 73 की उपधारा (2) तथा उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) तथा उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तिथि से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तिथि को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा।

कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना।

107. (1) * * * * *

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(4) * * * * *

(5) * * * * *

(6) * * * * *

(क) * * * * *

(ख) अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपए के अध्याधीन उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील दायर की गई है, से उद्भूत विवाद में कर की बकाया राशि के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि का भुगतान नहीं किया हो :

(7) * * * * *

(8) * * * * *

(9) * * * * *

(10) * * * * *

(11) * * * * *

परन्तु * * * * *

अपील प्राधिकारी को अपीलें।

परन्तु यह और कि जहां अपील प्राधिकरण की जहां की राय है कि कोई कर भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या इनपुट कर प्रत्यय के भुगतान की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आदेश पारित किया गया हो।

(12) अपील निपटारा करने वाले अपील प्राधिकरण का आदेश लिखित में होगा और अवधारण के बिन्दुओं, उनपर निर्णय और ऐसे निर्णय के कारण लिखित में होंगे।

112. (1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केंद्रीय अधिनियम 12), के अधीन उसके विरुद्ध पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तिथि से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकता है।

अपील अधिकरण को अपील।

(2) * * * * *

(3) आयुक्त, किसी आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए, स्वप्रेरणा से, या केन्द्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर, इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश का अभिलेख मांग सकता है और परीक्षण कर सकता है और आदेश द्वारा, अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को ऐसी तिथि, जिसको उक्त आदेश से उद्भूत ऐसे बिन्दुओं, जो आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के निर्धारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास के भीतर अपील अधिकरण में अपील करने का निदेश कर सकता है।

(4) * * * * *

(5) * * * * *

(6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर अपील स्वीकार कर सकता है, या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् पैंतालीस दिन के भीतर प्रतिआक्षेपों का ज्ञापन दायर करने के लिए अनुमति दे सकता है, यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था।

(7) * * * * *

(8) * * * * *

(क) * * * * *

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त, अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अध्यक्षीन उक्त आदेश से उद्भूत विवाद में कर की शेष राशि के बीस प्रतिशत के बराबर धनराशि जिसके संबंध में अपील दायर की गई है।

कतिपय अपराधों के लिए शास्ति।

122. (1) * * * * *

(1क) * * * * *

(1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जो—

(i) * * * * *

(ii) * * * * *

(iii) * * * * *

कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति।

127. जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि कोई व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में नहीं आती है, तो वह ऐसे व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर सकता है।

शास्ति या शुल्क या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति।

128. * * * * *

171. (1) * * * * *

मुनाफाखोरी निरोधी
उपाय।

(2) केन्द्रीय सरकार, चाहे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी, उस द्वारा माल और सेवाओं या दोनों के मूल्यों में आनुपातिक कमी के वास्तविक परिणामतः हुई है, के परीक्षण के लिए परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण का गठन या उस समय लागू किसी विधि के अधीन गठित किसी विद्यमान प्राधिकरण को सशक्त कर सकती है।

(3) * * * * *

(3क) * * * * *

परंतु * * * * *

व्याख्या.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "मुनाफाखोरी" अभिव्यक्ति से अभिप्राय होगा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का लाभ या माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तकर्ता को इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं देने के कारण अवधारित राशि।"

अनुसूची III

(देखिए धारा 7)

क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय माना जाएगा न ही सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा

(1)	*	*	*	*	*
(2)	*	*	*	*	*
(3)	*	*	*	*	*
(4)	*	*	*	*	*
(5)	*	*	*	*	*
(6)	*	*	*	*	*
(7)	*	*	*	*	*
(8)	*	*	*	*	*

